मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) सीधी जिले की नहर में बस डूबने से अनेक लोगों की मृत्यु होना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि सीधी जिले की नहर में बस डूबने से हुई मौतों के संबंध में मेरे और सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, कमलेश्वर पटेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्रह्य करें. सरकार भी सहमत है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि घटना बहुत दु:खद एवं लोमहर्षक थी. घटना स्थल पर श्री तुलसीराम सिलावट और श्री रामखेलावन पटेल मंत्रीगण एवं मुख्यमंत्री महोदय भी गये थे. आसंदी की अनुमि से राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के बाद इस पर भी चर्चा का समय तय कर लें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं.

आसंदी ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि चर्चा का समय हम बता देगें.

(2) तत्कालीन एसडीएम श्री हरेन्द्र नारायण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि श्री हरेन्द्र नारायण तत्कालीन एस.डी.एम. के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है, बहुत दिनों से लम्बित है. आसंदी उसको स्वीकार करे और विशेषाधिकार समिति को भेजे अथवा मुझे यहां पर वक्तव्य देने की अनुमति दें.

(3) मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन के बाहर जनहित के विषय पर घोषणा की जाना

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने उल्लेख किया कि अभी माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने विशेषाधिकार के संबंध में बात कही है, मैं मर्यादा और शिष्टता के बारे में इस सदन में यह बताना चाहता हूं. जो कि कौल एण्ड शकधर पुस्तक में भी कही गई है. दिनांक 10.06.1967 को कांग्रेस सदस्यों की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से तब उस वर्ष के बजट में कुछ करों को राहत देने की घोषणा की थी. इस समय भी विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे समय पर शासन द्वारा की गई कोई भी घोषणा परम्परानुसार सर्वप्रथम सभा भवन में होना चाहिये, लेकिन अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने एक लोकहित के विषय का उल्लेख सभा चलते सदन के बाहर किया है जो कि आज समाचार पत्रों में छपा है कि "प्रदेश में मिले 344 मरीज, लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू अभी नहीं", यह लोक महत्व का विषय है. जब सदन चल रहा हो, तब सदन के बाहर घोषणा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सदन की मर्यादा और शिष्टता बनी रहे. यह हमारी परंपरा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि यह बहुत ही गंभीर विषय है. इसलिए विपक्ष द्वारा अखबार का आधार न बनाकर कोई प्रामाणिक आधार हो तो बताया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री ने विधायक दल की बैठक में ऐसे कोई भी प्रसंग का उल्लेख नहीं किया है. यह सर्वथा अनुचित और मिथ्या प्रसंग है.

(4) श्री जितेन्द्र डागा, पूर्व विधायक के निर्माण को अवैध मानकर तोड़ा जाना

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि श्री जितेन्द्र डागा इस सदन के सदस्य रहे हैं, पहले वह भारतीय जनता पार्टी में थे और अब वह कांग्रेस पार्टी में आ गये हैं. अवैध तरीके से उनका निर्माण कल तोड़ दिया गया है, यह केवल दलीय राजनीति के आधार पर किया गया है. मेरे प्रश्न का यह उत्तर दिया है कि जो जमीन अवैध बताई गई है, उसके बदले में उनको वहां पर दूसरी जमीन दी गई है और उसके बाद भी उनके निर्माण को तोड़ा गया. ऐसी कार्यवाही अगर पूर्व विधायकों के साथ की जायेगी केवल इस बात पर कि उस पार्टी में थे और आज इसमें कांग्रेस पार्टी में हैं तो यह बहुत गलत परंपरा है.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की जिला सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन शाखा झारड़ा में वित्तीय अनियमितता में लिप्त दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने,

(2) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र में स्थित गौशालाओं में चारे की व्यवस्था की जाने,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वि.ख. सागर की वृहद् ग्राम पंचायत कर्रापुर की जल आवर्धन पेयजल योजना का क्रियान्वयन नहीं होने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह रौठार, सदस्य की टीकमगढ़ जिला के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पनियाखेड़ा में विद्युत की व्यवस्था की जाने,

(5) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनने वाली सड़क में आ रही वन भूमि की अनुमति न मिलने,

(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की खिलचीपुर में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसानों रकबा गिरिदावरी पोर्टल पर अपलोड नहीं होने,

(7) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की वाणसागर नहर परियोजना सिंहावल ब्लाक में लेबर माइनर नहर का किसानों का मुआवजा न मिलने,

(8) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा से सहजपुर मार्ग की हालत जर्जर होने,

(9) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की जिला अलीराजपुर मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक द्वारा नव निर्वाचित विधायक को जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा

(10) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की कोरोना काल में प्रदेश के बाहर काम कर रहे शहडोल उमरिया के मजदूरों की औंरगाबाद में ट्रेन से कटकर मौत होने पर सहायता राशि न मिलने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 की अपेक्षानुसार –

(i) जिला उमरिया का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20,

(ii) जिला कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019, तथा

(iii) जिला छतरपुर, अलीराजपुर, बैतूल एवं धार के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20

पटल पर रखे.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) अधिसूचना दिनांक 25 नवम्बर, 2019, एवं

(ख) अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर, 2020

पटल पर रखी.

(3) श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा

(ख) नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वर्ष 2019-20

पटल पर रखे.

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(5) डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-18,

(ख) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19, तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-20

पटल पर रखे.

(6) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

पटल पर रखे.

(7) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सर्वश्री पी.सी. शर्मा, आरिफ मसूद, नारायण सिंह पट्टा**,** विनय सक्सेना, सदस्यगण ने ग्वालियर में सहकारी सोसाइटी के माध्यम से चिटफंड का अवैध कारोबार होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया तथा भारत सिंह कुशवाह, सदस्यगण ने प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित समय सीमा में प्रदाय न किये जाने की ओर राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा की अनुपस्थिति में श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री विक्रम सिंह (जिला- सतना)
(2) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(3) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(4) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(5) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(6) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(8) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(10) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(11) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(12) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(13) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)

(14) श्री मुकेश रावत (जिला-अलीराजपुर)
(15) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(16) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(17) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(18) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(19) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(20) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(21) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(22) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(23) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(24) श्री जालम सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(25) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(27) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़
(28) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(29) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
(30) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण).

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 24 फरवरी, 2021 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

(14) श्रीमती झूमा सोलंकी **(भाषण पूर्ण)**

9. सुश्री कलावती भूरिया, सदस्या को जान से मारने की धमकी दिये जाने के कारण सुरक्षा की मांग की जाना

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्या ने सदन को अवगत कराया कि उनके क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा उनके हांथ, पैर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है. उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माननीय सदस्या को पूरा संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया.

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

(15) श्री जालम सिंह पटेल

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

(16) श्री जीतू पटवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(अपराह्न 1.31 बजे से 3.05 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(17) श्रीमती कृष्णा गौर

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(18) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार
(20) श्री बाला बच्चन
(21) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(22) श्री तरूण भनोत
(23) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी
(24) श्री कमलेश्वर पटेल
(25) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय
(26) श्री संजीव सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(27) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(28) श्री प्रहलाद लोधी
(29) श्री सुखदेव पांसे

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(30) श्री महेन्द्र हार्डिया
(31) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(32) श्री विनय सक्सेना
(33) श्री राजेश कुमार प्रजापति
(34) श्री नारायण सिंह पट्टा
(35) श्री उमाकांत शर्मा
(36) श्री आरिफ मसूद
(37) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(38) श्री बापू सिंह तंवर

11. अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री का जवाब अगले दिन लिये जाने विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - "राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दो दिन नियत किये गये थे, इस दौरान काफी अधिक संख्या में सभी पक्ष के सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लिया गया, परन्तु अभी तक समय वृद्धि के उपरांत भी चर्चा का समापन नहीं हो सका है. अत: कल दिनांक 26 फरवरी, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वाह्न में ध्यानाकर्षण लिए जाने के पूर्व चर्चा का उत्तर देंगे".

अपराह्न 6.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (7 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 25 फरवरी, 2021.